

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 121-2024/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 8, 2024 (SRAVANA 17, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 अगस्त, 2024

संख्या 5/12/2020—5टी(II).— कोविड—19 की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हरियाणा राज्य परिवहन के सभी बस अड्डों पर गतिविधियां कम होने के कारण आए वित्तीय संकट में व्यवसाय में असुविधा के लिए सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा के राज्यपाल रोडवेज के बस अड्डों पर ठेकेदारों/दुकानदारों के हित के लिए निम्नलिखित ''किराया माफी/समायोजन/वापसी योजना'' को अधिसूचित करते हैं।

1. सहायता की मात्राः— सभी ठेकेदार / दुकानदार जो 20 मार्च, 2020 को संबंधित महाप्रबंधक, हिरयाणा रोडवेज के साथ एक वैध अनुबंध के अंतर्गत हिरयाणा रोडवेज के बस अड्डों पर अपना व्यवसाय कर रहे थे वह दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 तक की अविध के लिए दुकान / व्यवसाय किराए पर 100 प्रतिशत छूट और दिनांक 01.07.2020 से 31.07.2020 तक किराए में 50 प्रतिशत छूट के पात्र होंगे।

जिन ठेकेदारों / दुकानदारों ने कोविड—19 के दौरान 01.04.2020 से 30.06.2020 तक और 01.07.2020 से 31.07.2020 तक की अवधि के दौरान किराए का भुगतान नहीं किया है और विभाग ने ऐसे ठेकेदारों / दुकानदारों के खिलाफ किराया वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। इस तरह के किसी भी विभागीय अथवा न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा इस योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान किराए का भुगतान न करने के कारण पर उन्हें हरियाणा रोडवेज के बस स्टैंडों पर बूथों / दुकानों / स्टैंडों आदि की नीलामी में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा।

- 2. प्रारंभ और प्रयोज्यता:— यह योजना हरियाणा सरकार के आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगी परंतु किराया माफी, समायोजन, किराया वापसी केवल 01.04.2020 से 31.07.2020 की अवधि के लिए ही किया जा सकेगा।
- 3. पात्रता:-ठेकेदारों / दुकानदारों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:-
 - (क) ठेकेदारों / दुकानदारों का महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन के साथ वैध अनुबंध होना चाहिए।
 - (ख) ठेकेदारों / दुकानदारों द्वारा अनुबंध की शर्तों के साथ—साथ हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर दुकानों की नीलामी के लिए सरकार की नीति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन नहीं किया होना चाहिए।
 - (ग) ठेकेदारों / दुकानदारों द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार विभाग को सभी बकाया राशि का भुगतान समय पर किया होना चाहिए।
 - (घ) किराए में छुट 01.04.2020 से 30.06.2020 तक 100 प्रतिशत और 01.07.2020 से 31.07.2020 की अवधि में केवल 50 प्रतिशत होगी।

4. प्रक्रिया:--

- (क) उपरोक्त अवधि का किराया यदि पहले ही भुगतान कर दिया गया है तो उपरोक्त अवधि का किराया समायोजन / वापसी (01.04.2020 से 31.07.2020 तक की अवधि के लिए) अथवा किराए का भुगतान न करने पर समायोजित सुरक्षा आदि की वापसी के लिए ठेकेदार / दुकानदार द्वारा आवेदन इस अधिसूचना के जारी होने से 30 दिनों के भीतर भुगतान आदि के प्रमाण के साथ संबंधित महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन को भेजना होगा।
- (ख) प्रत्येक आवेदन की संबंधित महाप्रबंधक, हिरयाणा राज्य पिरवहन द्वारा जांच की जाएगी और यदि इसमें कोई कमी है, तो आवेदक को 10 कार्यदिवसों की अविध के भीतर लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और आवेदक को बताई गई किमयों को सुधारने के लिए 2 सप्ताह की समयाविध दी जाएगी।
- (ग) यदि निर्धारित अवधि के भीतर किमयों को दूर नहीं किया जाता है, तो ठेकेदार / दुकानदार को सूचित करते हुए आवेदन महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।
- (घ) इस प्रकार दायर किया गया आवेदन निदेशक, राज्य परिवहन, हरियाणा के आदेश से फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते इसके लिए अनुरोध संबंधित महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से 30 दिनों की अविध के भीतर भेज दिया गया हो।
- 5. **सक्षमप्राधिकारी:**—अतिरिक्त निदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा, किराया लाभ की छूट/समायोजन/वापसी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- 6. अपीलः—महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील निदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा के पास की जा सकती है और अपीलीय सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ कोई अन्य अपील मान्य नहीं होगी।
- 7. नियमों की व्याख्या:—प्रशासकीय सचिव, परिवहन विभाग इस योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा।
- 8. **बजटीय प्रावधान एवं कार्यान्वयन व्यवस्था**:—बजटीय प्रावधान परिवहन विभाग के उप शीर्ष ''किराया, दर एवं कर'' के अंतर्गत उपलब्ध बजट में से किया जायेगा।

नवदीप सिंह विर्क, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, चण्डीगढ।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 8th August, 2024

No. 5/12/2020-5T(II).— To facilitate contractors/shopkeepers at all bus stands in Haryana Roadways in doing their business in times of financial duress brought in by reduced activities at bus stands because of COVID-19, the Governor of Haryana is pleased to notify the following "Waiver/adjustment/refund of rent Scheme for the benefit of Contractors/Shopkeepers at bus stand of Haryana Roadways."

1. Quantum of Assistance:-All the contractors/shopkeepers who are doing their business at bus stands of Haryana Roadways under a valid contract with concerned General Manager, Haryana Roadways, as on 20th March, 2020, will be eligible to 100% waiver of shop rentfor the period from 01.04.2020 to 30.06.2020 and 50% waiver of rent from 01.07.2020 to 31.07.2020.

The contractors/shopkeepers who have not paid the rent during the period from 01.04.2020 to 30.06.2020 and from 01.07.2020 to 31.07.2020 during Covid-19 and the department has initiated proceedings against such contractors /shopkeepers for recovery of rent in any court of law shall be settled accordingly in the light of provisions of this scheme. Further, they shall not be debarred from participating in auction of booths/shops/stands etc. at bus stands of Haryana Roadways for default of payment of bank during the above said period.

- 2. Commencement and Applicability:-This Scheme shall come into effect on the date of its notification in the Government of Haryana official gazette but the waiver/refund/adjustment of rent shall be for the period from 01.04.2020 to 31.07.2020.
- **3. Eligibility:-**The contractor/shopkeeper must comply with the following conditions:

- i. The contractor/shopkeeper should have been in a valid contract with the GM, Haryana Roadways.
- ii. The contractor/shopkeeper should not have violated the terms & conditions of the contract as well as Govt. policy for auction of shops at bus stands of Haryana Roadways.
- iii. The contractor/shopkeeper should have paid all the dues to the department in time as per terms & conditions of the contract.
- iv. The waiver of rent shall be allowed 100% for a period from 01.04.2020 to 30.06.2020 and 50% from 01.07.2020 to 31.07.2020.

4. Procedure:-

- i. Application for the grant of waiver of rent for the above period/adjustment/refund of rent if already paid or refund of security etc. adjusted against non-payment of rent for the period from 01.04.2020 to 31.07.2020 shall be given by the contractor to the GM, Haryana Roadways concerned alongwith the proof of payments etc. within 30 days from issuing of this notification.
- ii. Every application would be processed and examined by concerned General Manager of Haryana Roadways. The deficiencies, if any, would be communicated to the applicant in writing within a period of 10 working days and the applicant would be given a time period of 2 weeks to rectify the deficiencies so pointed out.
- iii. In case the deficiencies are not removed within the prescribed period, the claim shall be rejected by the General Manager, Haryana Roadways under intimation to the party.
- iv. The claim application so filed shall be reopened with the orders of Director State Transport Govt. of Haryana, provided request for the same is received within a period of 30 days from the date of rejection of the claim by the GM, Haryana Roadways.
- **5. Competent Authority:-**The Additional Director of Department of State Transport, Haryana, shall be the competent authority for sanction of waiver/adjustment/refund of rent benefit.
- **6. Appeals:-**Appeal against the order passed by the General Manager of Haryana Roadways shall lie with the Director State Transport, Haryana, and no further appeal shall be made against the order of appellate authority.
- **7. Interpretation of Rules:-**Administrative Secretary Transport Haryana shall be competent to make interpretation of provisions of this scheme and his decision shall be final.
- **8. Budgetary Provision and Implementation arrangements:-**The budgetary provision for the scheme shall be made from the budget available in Transport Department under the sub head "Rent, rate and taxes".

NAVDEEP SINGH VIRK, Principal Secretary to Government Haryana, Transport Department, Chandigarh.

11230-C.S.-H.G.P., Pkl.